

# न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## आज्ञा - पत्र

उपनाम

पुरथा दीतरलाल बनाम

किस्म मुकद्दमा धारा-225 मि. नं. 2021/16 सन्

अभिभाषक अपीलान्त श्रीलाल पोषवाल अभिभाषक रैस्पोंडेंट तवेर सिंह आला R-1 to 5

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04-11-22	<p>पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पीठारीन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>02-12-22</u> को पेश हो।</p> <p><b>श्रीकेश</b> रीडर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)</p>	R-6 लगे R-9 तबकी शेष
2.12.22	<p>पत्रावली पेश हुई। कोर्ट कैम्प स्थगित / कंडोलेंस/हडताल होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>6.1.23</u> को पेश हो।</p> <p><b>डॉ० अनुपमा टेलर</b> भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	06-01-23
06-01-23	<p>पत्रावली पेश हुई। कोर्ट कैम्प स्थगित / कंडोलेंस/हडताल होने से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>27-1-23</u> को पेश हो।</p> <p><b>डॉ० अनुपमा टेलर</b> भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	
27-01-23	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त व उनके अभिभाषक को ब्लक-रुक कर तीन बार आवार्जे लगवाई गई फिर भी उनके द्वारा कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलान्त दिनांक 17-06-22, 02-09-22 को भी अनपस्थित रहे हैं तथा उनके द्वारा आदिनांक तक रैस्पों R-6 लगे R-9 को नोटिस सम्मन तामील भी नहीं कराई गई है। अतः पत्रावली अदम हाजरी व अदम पेशबी में स्वारिज की जाती है। पत्रावली पेशल शमार होकर बाद तामील तदमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p><b>डॉ० अनुपमा टेलर</b> भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	





न्यायालय :- मू-प्रबन्ध एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

*Red*  
2.2.21

पूरया वलद काना	ब	1- छीतरलाल वलद पन्ना
जाति चमार निवासी	ना	2- बापूलाल वलद पन्ना
झीकडिया तहसील	म	3- रमकूबाई पुत्री पन्ना
बकानी जिला झालावाड		4- रामनारायण वलद पन्ना
-- अपीलान्त	7- माधो आठो रामा	5- गीताबाई पुत्री पन्ना जाति
	8- शंकर आठो रामा	लोधा सकनये टेकली तहसील
	9- सेवा आठो रामा	बकानी जिला झालावाड राज
	जाति चमार	6- उपखण्ड अधिकारी झालावाड

अपील बनाराजगी निणधि दिनांक 08-08-2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड, प्रकरण सं.

334/2019, छीतरलाल -- बनाम -- परीक्षा केर हे

धारा 25। राज. टी. एक्ट

मान्यवर,

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधि न्यायालय ने जो निणधि सुनाया वो सारहीन है और विधि के वैधानिक सिद्धान्तों के विपरित है इससे असंतुष्ट होकर यह अपील पेश कीजा रही है

1-- यह कि रैस्पोंडेन्ट 01 लगयित-05 ने माननीय अधि न्यायालय मे दिनांक 11.11.2019 को अपने खेत खसरा नं.-22 पर जाने के लिये अपीलान्ट के खेत खसरा नं.-21 की उत्तरी दिशा की भेड पर होते हुये पूरब से पश्चिम की ओर 10 फीट चौडा रास्ता की मगि का प्रार्थना पत्र धारा 25। राज. टी. एक्ट के तहत पेश किया था ।

2--यह कि रैस्पों. व अपीलान्ट के मध्य रास्ता संबंधी विवाद का हल थाना रजिस्ट्रार मे दिनांक 30-08-2020 को हो गया था जिसमे रैस्पों नं.-01 लगयित-05 को अपीलान्ट उसके खाते की आराजी मे से यानि खसरा नं.-21 मे से 8 फीट रास्ता रैस्पों. को देगा तथा इसके बदले रैस्पों. नं.-01 लगयित-05 उनके खाते की आराजी खसरा नं.-22 मे से 8 फीट जमीन रास्ते के बदले दी गयी जमीन अपीलान्ट को देगे । उक्त राजीनामा के अनुसार दोनों पक्षों ने राजीनामा की पालना मे अपीलान्ट ने खसरा नं.-21 मे से 8 फीट जगह रैस्पों. को दे दी तथा रैस्पों ने उक्त रास्ते की एवज मे 8 फीट आराजी उनके

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*